न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री संजय कुमार माथुर
2. प्रकरण संख्या : 3/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

पाना पत्नि जूम्माखा नि0 ग्राम भासिंहपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 10-04-2026
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम भासिंहपुरा, पटवार हल्का ढींडा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 51/2 रकबा 0.3794 है0 बारानी 2 राजस्व रिकार्ड में पाना पत्नि जूम्माखा निवासी ग्राम भासिंहपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का ढींडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार पाना पत्नि जूम्माखा का सम्पूर्ण हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमों का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तो का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे। अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि गैर खातेदार द्वारा शर्तें भंग करने के कारण गैर खातेदारी भूमि आवंटन निरस्त कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए। पश्चात विद्वान अधिवक्ता अब्दुल गफ्फार द्वार वकालतनामा पेश कर पाना पत्नी जुम्मा खां एवं उसके पति जुम्मा खां पुत्र दीना खां की मृत्यु होने का कथन किया। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न पेश किये गये। इस पर प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को विधिक वारिसान की जांच कर कायम मुकाम मय संशोधित उनवान के पेश करने हेतु निर्देश दिये गये परन्तु प्रार्थी तहसीलदार द्वारा वारिसान की सूची मय संशोधित उनवान के पेश नहीं की गयी है। जबकि प्रार्थना पत्र देयिन्दा तहसीलदार फुलेरा की जिम्मेदारी है कि वह प्रकरण में वांछित रिकार्ड/रिपोर्ट पेश करे। लम्बे समय से प्रकरण लम्बित है।

अतः पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार प्रकरण में सम्पूर्ण रिकार्ड की जांच करें तथा अप्रार्थी मृतक के वारिसान की जांच कर परीक्षण पश्चात नियमानुसार पुनः प्रार्थना पत्र पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 10/04/2026 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो।

(संजय कुमार माथुर)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर